

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय
समूह, कोटा

रंगबाडी रोड, सेक्टर-ए, रंगबाडी, कोटा 324005

दूरभाष न० 0744-2470674 || ईमेल : principalmck@gmail.com || वेबसाइट :
http://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota



क्रमांक:- प03(2)/एकेड-II/लो0रे0/2020/375

दिनांक: 29.07.2020

-:कार्यालय आदेश:-

इस संस्थान में दिनांक 28.07.2020 को हुए साक्षात्कार में चयन समिति की अभिशासा पर दिनांक 30.07.2020 से 12.09.2020 तक के लिए (अभिवृद्धि पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये) अथवा नियमित पी.जी. रेजिडेंट उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) निम्नलिखित आवेदकों को लोकम रेजिडेंट के पद पर कार्य करने हेतु लगाया जाता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन्हें निर्धारित स्टार्टपेंड एवं इस पर नियमानुसार देय महंगाई भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें दिनांक 05.08.2020 तक उपस्थिति देनी होगी अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। प्रत्येक 45 दिवस के अंतराल पर कार्यकाल अभिवृद्धि हेतु विभागाध्यक्ष की अभिशासा सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्यकाल में अभिवृद्धि नहीं की जावेगी।

क्रमांक	नाम	विभाग
1.	डा0 शाहिन बानो	रेडियोथेरेपी विभाग
2.	डा0 हर्ष गोयल	रेडियोथेरेपी विभाग
3.	डा0 गौरव सिंगारिया	रेडियोथेरेपी विभाग
4.	डा0 जितेन्द्र कुमार जैन	यूरोलोजी विभाग
5.	डा0 ज्योति चौला	शिशु रोग विभाग
6.	डा0 चैनरूप परिहार	न्युरोसर्जरी विभाग
7.	डा0 अंजलि राठौड	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
8.	डा0 पुष्कर राज यादव	ट्रान्सपथुजन विभाग

- लोकम रेजिडेंट तीन दिवस अपने कार्य पर बगैर सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसकी नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से समाप्त हो जावेगी।
- लोकम रेजिडेंट अपने नाम के समक्ष अंकित विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेंगे, यदि विभागाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

—sd—
(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:- प03(2)/एकेड-II/लो0रे0/2020/375

दिनांक: 29.07.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रथम/द्वितीय, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
2. अधीक्षक एम.बी.एस./जे0के0लोन चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय, कोटा।
3. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित विभाग....., चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
4. लेखा शाखा/बिल (एफ0वी0सी0) (दो प्रति में)/केशियर/I.T. Cell, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
5. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा विभागाध्यक्ष

—sd—
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक